Non-installation of Telephone numbers despite release of O.S. nos.

3137. SHRI RAJ NATH SINGH: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have released a large number of Telephone connections to meet statistical targets, whereas actual installation is yet to take place;

(b) whether O.B. Nos. have been issued in Hauz Khas Exchange but no telephones have installed for over six months against OYT categories; and

(c) if so, action proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VERMA): (a) Sir, telephone connections are released in various telephone exchanges based upon the capacity available. Some times work orders (OBs) are issued in advance to enable the completion of the work external line construction and internal fittings at subscribers premises in advance so that connections can be provided expeditiously after the exchange capacity becomes available. These connections are counted against targets only after they have been actually provided.

(b) In Hauz Khas Exchange, all the OBs issued against registration in OYT category have been executed except for nine cases. These cases are pending as it is technically not feasible to provide telephone connections at the locations where they are required due to non-availability of spare cable pairs.

(c) The above pending cases will be cleared by December, 1996.

Diversion of surplus ganges water to Rajasthan

3138. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Rajasthan has been claiming its share in surplus water of Ganga which could be diverted to the arid areas of Rajasthan;

(b) if so, whether any study has been undertaken so far in this regard by the Central Water Commission to evolve agreement in limits parameters etc. as agreed to at the official level meeting held on 23.12.93; and

(c) if so, by what time the said study would be made available for consideration of the Ganga Flood Control Board as well as for circulation to the basin States?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) Rajasthan has been asking for diversion of 1133 Cubic Metres per second (Cumec) of flood water ex-Hardwar and 566 cumec of flood water ex-Bijnore from Ganga for use in the arid areas of that State.

(b) No Sir. The review study could not be conducted by Central Water Commission (CWC) as agreed to at the official level meeting held on 23.12.1992 since Govt. of Uttar Pradesh did not supply the relevant data to CWC.

(c) CWC has been persuing the matter with Govt. of Uttar Pradesh for expediting supply of the releant data. The study by CWC will be taken up as soon as comprehensive data by Uttar Pradesh becomes available and thereafter submitted to Ganga Flood Control Board.

मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को सुविधाएं

3139. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 जुलाई, 1996 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में रह रहे भूतपूर्व सैनिकों की जिला-वार कुल संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) रायगढ़ जिले में इन भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण तथा पुनर्वास के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इन कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले भूतपूर्व सैनिकों के नाम क्या हैं तथा उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत वे लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) रायगढ़ जिले के भूतपूर्व सैनिकों को उचित दर पर वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए कैंटीन की सुविधा प्रदान करने के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव): (क) से (ग) मध्य प्रदेश में जिला सैनिक बोर्डों में 30.6.1996 की स्थिति के अनुसार कुल 23747 भूतपूर्व सैनिक पंजीकृत थे। विभिन्न जिला सैनिक बोर्डों में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिये)**

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण के लिए केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रम मध्य प्रदेश और उसके रायगढ़ जिले सहित सभी राज्यों में रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों के मामले में लागू है। ये कार्यक्रम/योजनाएं इस प्रकार हैं:-

(I) केन्द्रीय सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रतिशत निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया हुआ है:-

	केन्द्रीय सरकार	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक
समूह 'ग' पद	10%	14.5%
समूह 'घ' पद	20%	24.5%

(II) इसके अलावा अर्ध सैन्य बलों में भी सहायक कमांडेंट के पदों में 10% के आरक्षण की व्यवस्था है। रक्षा सुरक्षा कोर में केवल भूतपूर्व सैनिक ही भर्ती किए जाते हैं।

(III) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए समूह 'ग' पदों पर 9% आरक्षण और समूह 'घ' पदों पर 14% आरक्षण की व्यवस्था की हुई है।

(IV) सरकारी नौकरियों में रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिकों की आयु और शैक्षिक अर्हता में छूट।

(V) सेवानिवृत्ति के पश्चात् रोजगार पाने की क्षमता बढ़ाने अथवा उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(VI) स्वरोजगार उद्यम लगाने के लिए सेमफैक्स-I, और सेमफैक्स-II और सेमफैक्स-III योजनाओं के अंतर्गत ऋण लेने की सुविधाएं।

(VII) मरणोपरांत वीरता पुरस्कार विजेताओं की पत्नियों/आश्रितों, युद्ध में निशक्त हुए सेना कार्मिकों, युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों आदि को आंबटित किए जाने के लिए 7.5% पेट्रोलियम उत्पाद एजेंसियां आरक्षित की गई है।

(VIII) बड़ी मात्रा में द्रव पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी) कोयले के परिवहन के लिए भूतपूर्व सैनिक परिवहन कम्पनियां।

(IX) निपटान-योग्य अधिशेष वाहनों का आबंटन।

(X) केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा नियंत्रित निधियों में से जरूरतमंद भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता।

(XI) गंभीर रोगों के उपचार पर व्यय की राशि के 60% भाग की प्रतिपूर्ति। इसके अंतर्गत वाइपास शल्यक्रिया, गुर्दा प्रतिरोपण, कैंसर आदि को शामिल किया गया है।

(XII) युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों को रेल से द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने पर किराए में 75% की रियायत और श्रेणी-I व II के वीरता पुरस्कार अर्थात् परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र और कीर्ति चक्र प्राप्त करने वाले सेना कार्मिकों तथा स्थायी रूप से युद्ध में निशक्त हुए अफसरों व उनके परिवारों के आश्रित सदस्यों को इण्डियन एयरलाइन्स की देश के भीतर उड़ानों में हवाई यात्रा के लिए किराए में 50% की छूट।

(XIII) निकटवर्ती यूनिटों द्वारा संचालित कैंटीनों से कैंटीन सुविधाएं।

(XIV) मौजूदा सैन्य अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं।

(XV) सैनिक विश्राम गृहों में थोड़े समय तक ठहरने की सुविधाएं।

(XVI) युद्ध में मारे गए अथवा निशक्त हुए सशस्त्र सेना कार्मिकों के बच्चों को शैक्षणिक रियायतें

(XVII) संक्रियाओं अथवा शांति काल के दौरान मारे गए अथवा निशक्त हुए रक्षा कार्मिकों के परिवारों के अधिक से अधिक दो सदस्यों का समूह 'ग' और 'घ' के पदों पर रोजगार सहायता के लिए II(ए) प्राथमिकता दी जाती है।

उपर्युक्त योजनाओं के अतिरिक्त मध्य प्रदेश राज्य सरकार राज्य में रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों को कई प्रकार की रियायतें और लाभ उपलब्ध करा रही हैं। मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में आयोजित किए जा रहे भूतपूर्व सैनिक पुनर्वास प्रशिक्षण में वर्ष 1994-95 के दौरान 16 भूतपूर्व सैनिकों को मत्स्य पालन और मुर्गी-पालन में प्रशिक्षित किया गया। रायगढ़ जिले के पन्द्रह भूतपूर्व सैनिकों को

पुनः रोजगार दिया गया था। इस जिले के दो भूतपूर्व सैनिकों ने सेमफैक्स-3 योजना के अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन किया है।

मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में कैंटीन सुविधाएं स्थापित करना निम्नलिखित कारणों से व्यवहार्य नहीं पाया गया है:-

(क) राज्य सरकार से चल-कैंटीन के लिए शराब परमिट उपलब्ध न हो पाना।

(ख) मौजूदा सैन्य स्टेशनों/यूनिटों से दूरी लंबी होना।

(ग) केवल किराना मदों को इतनी अधिक दूरी तक भेजना आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

विवरण

विभिन्न जिला सैनिक बोर्डों में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों का जिला-वार ब्यौरा

क्रम सं॰	जिला सैनिक बोर्ड	मध्य प्रदेश में जिला सैनिक बोर्डों में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की सं॰
1	2	3
1.	भिंड	2643
2.	भोपाल	1289
3.	बेतुल	287
4.	बिलासपुर	851
5.	छतरपुर	165
6.	छिंदवाड़ा	291
7.	दमोह	172
8.	दतिया	89
9.	धार	244
10.	देवास	252
11.	दुर्ग	519
12.	ग्वालियर	1701
13.	होशंगाबाद	404
14.	इंदौर	1928
15.	जबलपुर	3252
16.	मंदसौर	171
17.	मुरैना	1866
18.	नरसिंहपुर	359
19.	पन्ना	126
20.	रीवा	2012
21.	रायपुर	527
22.	राजनांदगांव	72
23.	रायगढ़	802
24.	रतलाम	182
25.	सागर	484
26.	सतना	1104
27.	सीधी	592
28.	शहडौल	247
29.	शिवपुरी	364
30.	सिवनी	116
31.	टीमकगढ़	138
32.	उज्जैन	498
	कुल :	23,747

टाडा पैनल का गठन

3140. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने टाडा पैनल बनाया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इसने राज्यवार कितने लंबित टाडा मामलों की समीक्षा की है;

(ग) इस पैनल में कौन-कौन व्यक्ति है;

(घ) क्या सरकार ने टाडा के दुरूपयोग को रोकने के लिए कोई प्रयास किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मन्त्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार केन्द्र सरकार और राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र सरकारों के लिए पुनरीक्षा समितियां गठित की गई हैं। वे लंबित टाडा मामलों की पुनरीक्षा कर रही हैं तथा जरूरी समझे जाने पर स्थिति में सुधार ला रही हैं।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा पुनरीक्षित मामलों की राज्य-वार संख्या तथा उन व्यक्तियों की संख्या, जिनके खिलाफ टाडा प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है, दर्शानेवाला एक विवरण संलग्न है (नीचे देखिए)

(ग) केन्द्रीय पुनरीक्षा समिति में गृह सचिव, विधि सचिव, निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा संयुक्त सचिव (आई. एस.-11), गृह मंत्रालय, शामिल होते हैं। राज्य पुनरीक्षा समिति में गृह सचिव (कानून और व्यवस्था), संबंधित राज्य के पुलिस महानिदेशक तथा विधि सचिव होते हैं। कुछ राज्यों में पुनरीक्षा समितियों का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत न्यायाधीश होता है।

(घ) और (ङ) चूंकि टाडा मई, 1995 में समाप्त हो चुका है, अतः प्रश्न नहीं उठता है।